संयुक्त निदेशक का कार्यालय,
बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र,
जल संसाधन विभाग, अनिसाबाद, पटना ।

भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या (NIQ)- 09/2025-26

पत्रांक-बा०प्र०सु०स०के०-50/2025- 1042 पटना, दिनांक- 20/11/2025

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष-2025-26 के लिए बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, जल संसाधन विभाग, अनिसाबाद, पटना के कार्यालय के अन्तर्गत कार्यो के साथ-साथ अन्य विभागीय कार्य तथा उच्चाधिकारियों की बैठकों में भाग लेने इत्यादि कार्यो हेतु सभी कार्यदिवसों (आवश्यकतानुसार अवकाश/रविवार सहित) में परिचालन के लिए प्रतिमाह के दर से नियत किराया पर (सभी करों के सहित) वाहन (ईंधन रहित चालक सहित) संयुक्त निदेशक का कार्यालय, बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, जल संसाधन विभाग, अनिसाबाद, पटना को उपलब्ध कराने हेतु 01 (एक) अदद स्कार्पियों निम्नांकित शर्तो के अधीन इच्छुक वाहन मालिकों/फर्म से मुहरबंद अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है:-

1. कोटेशन आमंत्रण सूचना निर्गत करने तिथि :- 20/11/2025
2. कोटेशन जमा करने की अवधि :- दिनांक-05/12/2025 को 03:00 बजे अपराह्न तक ।
3. कोटेशन जमा करने का स्थान :- बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, जल संसाधन विभाग, अनिसाबाद, पटना ।
4. कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक-05/12/2025 को 03:30 बजे अपराह्न में ।
5. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :- संयुक्त निदेशक का कार्यालय, बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, जल संसाधन विभाग, अनिसाबाद, पटना-800002

तकनीकी निविदा शर्तः-

1. वाहन का वैध निबंधन (वाणिज्य निबंधन) पत्र, बीमा, रोड टैक्स, प्रदूषण प्रमाणपत्र एवं फिटनेस प्रमाण पत्र अद्यतन कोटेशन के साथ समर्पित की जाय ।
2. वाहन मालिक का आधार कार्ड, जी०एस०टी०, पैन कोटेशन के साथ समर्पित की जाय ।
3. निविदादाता को वित्तीय दर निम्नांकित प्रपत्र में देना होगा ।

प्रपत्र-1

क्रम	वाहन का प्रकार	दर प्रतिमाह ईंधन रहित एवं चालक सहित (सभी कर सहित)

नियम एवं शर्तें:-

1. भाड़े पर वाहन 1 वर्ष तक के लिया जायेगा ।
2. वाहन परिवहन विभाग, बिहार सरकार मोटरयान अधिनियम के मानकों के अनुरूप परिचालन योग्य एवं अच्छे हालत में होना चाहिए तथा वाहन का मॉडल 2020 के पूर्व का नहीं होना चाहिए ।
3. वहन का दैनिक रख-रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी दैनिक साफ-सफाई आदि पर होनेवाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा किया जायेगा । चालक के वेतन का भुगतान आवासन एवं भोजन आदि की व्यवस्था वाहन मालिक/फर्म द्वारा किया जायेगा ।
4. नियमानुकुल सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क अदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी ।
5. वाहन का कागजात (Registration Certificate), टैक्स, बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए । वाहन का निबंधन व्यवसायिक होना बाध्यकारी है ।
6. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध व्यवसायिक ड्राइविंग लाईसेन्स होना चाहिए ।
7. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म की होगी ।
8. वाहन के उपयोग के विरूद्ध मासिक किराया ईंधन रहित देय होगा ।
9. वाहन के उपयोग के लिए लौगबुक का संधारण वाहन चालक की जबावदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे जिसके आधार पर वाहन का मासिक किराया ईंधन रहित भुगतान किया जायेगा ।
10. मासिक न्यूनतम दर समाहरणालय पटना जिला नजारत शाखा द्वारा निर्धारित अनुसूचित दर के बराबर या कोटेशनदाता द्वारा न्यूनतम Quoted दर जो कि समाहरणालय पटना जिला नजारत शाखा द्वारा निर्धारित अनुसूचित दर से कम हो, के साथ ₹ 1000/- (रूपये एक हजार) मात्र के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा । सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना बताये एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है।
11. वाहन का वैद्य निबंधन (वाणिज्य निबंधन) पत्र, बीमा, रोड टैक्स, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं फिटनेस प्रमाण पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा ।
12. आवश्यकतानुसार वाहन का उपयोग दिन एवं रात्रि समय में होता है । अतः इस हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क/किराया देय नहीं होगा ।
13. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता निजी अथवा किसी अन्य व्यवसायिक उपयोग में नहीं करेंगे ।
14. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में होगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा । वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरन्त दुसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उस दिन का भाड़े का भुगतान दोगुणा दर से कटौती कर ली जायेगी ।
15. कोटेशन कभी भी बिना कारण बताए रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा ।
16. सम्बन्धित मद में आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार करो की कटौती के पश्चात् भुगतान की जायेगी ।
17. सेवा संतोषजनक रहने पर आगामी वर्ष के लिए सेवा विस्तार की जा सकती है ।
18. वाहन मालिक/सेवाप्रदाता को वाहन से सम्बन्धित सभी प्रकार के करों अर्थात् GST, Income Tax इत्यादि के भुगतान की देयता स्वयं करना होगा । विभाग/कार्यालय द्वारा मात्र वाहन के उपयोग के विरूद्ध निर्णित मासिक दर (इंधन रहित) से देय होगा ।

19. आवश्यतानुसार वाहन मुख्यालय से बाहर भी जा सकता है एवं रह सकता है उक्त हेतु किसी प्रकार का अतिरिक्त राशि के भुगतान का दावा मान्य नहीं होगा ।

20. इच्छुक वाहन मालिक/फर्म उक्त क्रमांक 01 से 19 तक के शर्तो को स्वीकार करने से सम्बन्धित अपना शपथ-पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) के साथ समर्पित करेंगे । एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर वैध कोटेशनदाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जायेगा ।

शपथ पत्र एवं वांछित कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा ।

विश्वासभाजन

AS 20/11/2025

(अमिता सिंह)
संयुक्त निदेशक

पत्रांक-बा०प्र०सु०स०के०-50/2025- 1042 पटना, दिनांक- 20/11/2025

प्रतिलिपिः-श्री प्रेम कुमार, सॉफ्टवेयर इंजिनियर/ श्री धीरज कुमार सिंह, वेब मास्टर, बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, अनिसाबाद, पटना को सूचनार्थ एवं FMISC वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

अनु०ः-कोटेशन आमंत्रण का सॉफ्ट कॉपी ।

AS 20/11/2025

(अमिता सिंह)
संयुक्त निदेशक